पत्रांक–1 / ब0 1–11 / 2026–206 /

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी,
समस्तीपुर / जहानाबाद / बेगूसराय / लखीसराय / किशनगंज / बांका / बक्सर / गोपालगंज / अररिया / पश्चिम चम्पारण / खगड़िया / शेखपुरा / भागलपुर / रोहतास / सारण / मुजफ्फरपुर / औरंगाबाद / नवादा / मधुबनी / दरभंगा / कटिहार / नालंदा / गया / पूर्वी चम्पारण / सहरसा / सुपौल / मधेपुरा / मुंगेर / पूर्णियाँ / शिवहर / सीतामढ़ी / जमुई / पटना / भोजपुर / अरवल / कैमूर / वैशाली

पटना दिनांक 28/10 / 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अंतर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 522 दिनांक 15.10.2026 के आलोक में 37 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालय व्यय हेतु माह अक्टूबर, 2026 से मार्च, 2027 तक कुल 06 माह के लिए ₹ 10,000 / –प्रति माह की दर से प्रति जिला ₹ 60,000 / –मात्र वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–08 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष '2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–0101–कला और संस्कृति का संवर्द्धन', विपत्र कोड 08–2205001020101, के अन्तर्गत विषय शीर्ष 2002–कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार में संलग्न विवरणी के अनुसार तत्काल कुल राशि ₹ 22,20,000 / –(बाईस लाख बीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 236 / वि0, दि0 09.03.2026 एवं 314 / वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 33 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी संबंधित जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी तथा राशि का व्यय बिहार वित्तीय संशोधन नियमावली 2024, बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार खरीद अधिमानता नीति के संगत प्रावधान के आलोक में की जायेगी।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6 उक्त आवंटन की व्यय विवरणी शीघ्र भेजे।

विश्वासभाजन,

28/10/26

(महमूद आलम)
सरकार के संयुक्त सचिव।
पटना, दिनांक 28/10 / 2026

ज्ञापांक 206 /

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, समस्तीपुर / जहानाबाद / बेगूसराय / लखीसराय / किशनगंज / बांका / बक्सर / गोपालगंज / अररिया / पश्चिम चम्पारण, बेतिया / खगड़िया / शेखपुरा / भागलपुर / रोहतास / सारण / मुजफ्फरपुर / औरंगाबाद / नवादा / मधुबनी / दरभंगा / कटिहार / नालंदा / गया / पूर्वीचम्पारण, मोतिहारी / सहरसा / सुपौल / मधेपुरा / मुंगेर / पूर्णियाँ / शिवहर / सीतामढ़ी / जमुई / पटना / भोजपुर / अरवल / कैमूर / वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/26

सरकार के संयुक्त सचिव।
पटना, दिनांक 28/10 / 2026

ज्ञापांक 206 /

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय / मेकर बजट शाखा / आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/26

सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ0 पृ0 उ0

वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–08 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष "2205–कला एवं संस्कृति–102 – कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–0101–कला और संस्कृति का संवर्द्धन" विपत्र कोड–08–2205001020101, के अन्तर्गत विषय शीर्ष–2002–कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार में आवंटन की विवरणी:–

क्र. सं.	कार्यालय / जिला का नाम	आवंटित राशि
1	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, समस्तीपुर	₹ 60000
2	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, जहानाबाद	₹ 60000
3	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बेगूसराय	₹ 60000
4	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, लखीसराय	₹ 60000
5	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, किशनगंज	₹ 60000
6	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बांका	₹ 60000
7	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बक्सर	₹ 60000
8	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, गोपालगंज	₹ 60000
9	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, अररिया	₹ 60000
10	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण	₹ 60000
11	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, खगड़िया	₹ 60000
12	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, शेखपुरा	₹ 60000
13	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, भागलपुर	₹ 60000
14	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, रोहतास	₹ 60000
15	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, सारण	₹ 60000
16	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	₹ 60000
17	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, औरंगाबाद	₹ 60000
18	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, नवादा	₹ 60000
19	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, मधुबनी	₹ 60000
20	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, दरभंगा	₹ 60000
21	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, कटिहार	₹ 60000
22	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, नालंदा	₹ 60000
23	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, गया	₹ 60000
24	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	₹ 60000
25	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, सहरसा	₹ 60000
26	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, सुपौल	₹ 60000
27	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, मधेपुरा	₹ 60000
28	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, मुंगेर	₹ 60000
29	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, पूर्णियाँ	₹ 60000
30	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, शिवहर	₹ 60000
31	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, सीतामढ़ी	₹ 60000
32	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, जमुई	₹ 60000
33	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, पटना	₹ 60000
34	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, भोजपुर	₹ 60000
35	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, अरवल	₹ 60000
36	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, कैमूर	₹ 60000
37	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, वैशाली	₹ 60000
	कुल योग–	**₹ 2220000**

तत्काल कुल आवंटित राशि ₹ 22,20,000 / –(बाईस लाख बीस हजार रूपये) मात्र।

(महमूद आलम)
सरकार के संयुक्त सचिव।